राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उपमिशन राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति ''प्रथम पक्ष'' एवं संविदा कर्मी ''द्वितीय पक्ष'' के मध्य अनुबन्ध

अनुबन्ध–पत्र संख्या.......................... दिनांक......................

यह अनुबन्ध ''प्रथम पक्ष'' के रूप में **जिला स्वास्थ्य समिति/संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा अधिकारी), जनपद ....**

एवं

''द्वितीय पक्ष'' के रूप में **श्री/श्रीमती/सुश्री ....आयु.....................वर्ष, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री. ....निवासी...............................पता... ....जिसकी तैनाती.................................. के पद पर संविदा के आधार पर की जाती है, के मध्य किया जा रहा है।**

हम दोनों पक्ष निम्नलिखत नियम व शर्तों के अधीन यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करते हैंः–

1. यह नियुक्ति पूर्णतया परियोजना के उद्वेश्य के अधीन संविदा पर है।
2. यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा नियत अवधि तक के लिए वित्त पोषित है।
3. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति दिनांक.......................... से .... की अवधि तक के लिए है तथा निर्धारित मानदेय रू0 .... प्रति माह है।

4. यह कि द्वितीय पक्ष को निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
5. यह कि द्वितीय पक्ष भली–भांति जानता/जानती है कि यह नियुक्ति उपरोक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है। यह अनुबन्ध प्रस्तर–3 में वर्णित अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त होगा, इसके लिए राज्य/जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किसी प्रकार की सूचना/नोटिस नहीं दिया जायेगा।
6. यह कि द्वितीय पक्ष जानता है कि यह नियुक्ति उपर्युक्तानुसार अनुबन्ध आधारित संविदा पर निर्धारित अवधि के लिए की गयी है अतः उस पद पर स्थायीकरण/नियमितीकरण का दावा नहीं करेगा।
7. यह कि द्वितीय पक्ष निर्धारित अवधि के पूर्व पद छोड़ना चाहेगा तो वह एक माह का नोटिस देकर पद छोड़ सकता/सकती है। इसी प्रकार प्रथम पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस/एक माह का मानदेय देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
8. यह कि अपरिहार्य स्थितियों में भारत सरकार द्वारा योजना/उक्त पद को समाप्त किया जाता है तो प्रथम पक्ष को अनुबन्ध अवधि से पूर्व उक्त पद को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे द्वितीय पक्ष को कोई भी आपत्ति नहीं होगी।
9. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति उसके द्वारा दिये गये अभिलेखों जैसे– शैक्षिक योग्यता व अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर की गयी है जो उसने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये हैं। यदि उसके द्वारा दी गयी कोई सूचना भौतिक सत्यापन में असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी और वह इस स्थिति में किसी प्रकार के मानदेय का हकदार नहीं होगा/होगी एवं उसके विरूद्व विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
10. यह कि द्वितीय पक्ष की नियुक्ति के पश्चात भ्रष्ट आचरण/किसी भी प्रकार के अपराधिक अपराध में सहयोग करते हुए अथवा स्वयं से लिप्त पाया जाता है तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की संविदा अनुबन्ध को समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. यह कि द्वितीय पक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों/दिशा–निर्देशों अथवा कार्यालय आदेशों के अधीन कार्य करेगा/करेगी जो कि उसकी नियुक्ति एवं अनुबन्ध सम्बन्धी नियम व शर्तों का भाग होंगे।
12. यह कि द्वितीय पक्ष की संविदा पर तैनाती स्वास्थ्य विभाग की इसी परियोजना में की गयी है, जिसमें आकस्मिक सेवायें भी सम्मिलित है जोकि जनसाधारण से जुड़ी हुई सेवायें है अतः समय–समय पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।
13. यह कि द्वितीय पक्ष को साप्ताहिक अवकाशों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित सार्वजनिक अवकाश के अतिरिक्त एक वर्ष की अनुबन्धित अवधि में कुल 14 आकस्मिक अवकाश देय होंगे।

14. यह कि द्वितीय पक्ष का जिला स्वास्थ्य समिति से पुनर्अनुबन्ध द्वितीय पक्ष की संतोषजनक कार्य/सेवाओं पर निर्भर करेगा।
15. यह कि द्वितीय पक्ष समिति द्वारा संचालित की जा रही परियोजना सम्बन्धी गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं करेगा।
16. यह कि सेवा अवधि की समाप्ति पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा द्वितीय पक्ष को कार्य हित में शासकीय सामग्री को वापस करना द्वितीय पक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
17. उपरोक्त संविदा तैनाती के सम्बन्ध में सभी प्रकरणों में अन्तिम अधिकार जिला स्वास्थ्य समिति में निहित है।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्ते स्वीकार है तथा पूर्ण विवेक से सोच–समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर...

हस्ताक्षर...

द्वितीय पक्ष **अनुबन्धित कार्मिक**

नाम...

पता...

....

मो0नं0..

प्रथम पक्ष

संयोजक, जिला स्वास्थ्य समिति

(मुख्य चिकित्सा अधिकारी)

जनपद..

गवाह के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1..

नाम...

पता...

....

मो0नं0..

2..

नाम...

पता...

....

मो0नं0..